FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा..नं..................................सन्..........

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खाता संख्या 170 मेरी खातेदारी की है। उक्त भूमि पर में शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हूँ। अप्रार्थीगण जबरदस्ती मेरी उक्त खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है व आये दिन लडाई–झगडा कर कब्जे काश्त व भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं उन्हे प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर बाधा उत्पन्न नहीं करने बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि हमारे पिता व दादाजी की शामलाती खाते की भूमियों से प्राप्त आय से बनाई गई थीं। भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने से वह हमें हमारा हक नहीं देना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। बाद मनन बहस विवादित भूमि खाता संख्या 170 के खसरा संख्या 662, 663 वाके ग्राम नेत पटवार मण्डल नेत में प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने से अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने से व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्राथी के हक में होने से एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–25.01.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई, अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	